## GS PAPERI

### 1. देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में 1 प्रतिशत की कमी :

देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 113.034 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल का संग्रहण आंका गया। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 72 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 130 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 99 प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 157.799 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 253.388 बीसीएम का लगभग 62 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली संबंधी लाभ देते हैं।

**क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति**

**उत्तरी क्षेत्र**

उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 12.06 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 67 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 77 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 76 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कमतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कमतर है।

**पूर्वी क्षेत्र**

पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 15.77 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 84 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 64 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 74 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

**पश्चिमी क्षेत्र**

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 27.07 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 23.14 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 85 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 56 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 78 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

### मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 37.80 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 89 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 69 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 68 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

### दक्षिणी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश (एपी), तेलंगाना (टीजी), एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। 03 नवंबर, 2016 को जारी जलाशय संग्रहण बुलेटिन के मुताबिक, इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 24.26 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 47 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 32 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 72 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है, लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कमतर है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बराबर है उनमें उत्तराखंड शामिल है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण कमतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

## GS PAPER II

### 1. Target 2020 Olympic

- खेल विभाग ने एनएसएफ) National sports federations) को 30 नवंबर, 2016 तक 2020 के टोक्यो ओलम्पिक खेलों के लिए पदक हासिल कर पाने वाले खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ की पहचान करने की सलाह दी है। इससे महत्वपूर्ण संभावित खिलाड़ी को समर्पित विश्व स्तरीय सहयोगी स्टाफ उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा ताकि, सुसंगत टीम के रूप में कार्य कर वांछित परिणाम हासिल किए जा सके।
- एनएसएफ को आवश्यक वित्तीय सहायता टारगेट ओलम्पिक पोडियम योजना )टीओपीएस (के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल विकास कोष) एनएसडीएफ (से प्राप्त होगी ।

- NSFs ओलंपिक पदक जीत सकनें वाले संभावित खिलाडियों व सहयोगी स्टाफ का चयन ,उनके पिछले 6 माह के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर करेगा - NSFs चयन व समीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी रखेगा तथा विस्तृत विवरण वेबसाइट पर जारी करेगा ।
- इससे खिलाडियों को विदेशी व देशी विशेषज्ञ कोचो से प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा तथा खेलो में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया जा सकेगा । -
- इससे खिलाडियों को टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के लिए अधिक लक्षित किया जा सकेगा ।

****** पिछले कुछ समय में ओलंपिक खेलो में प्रदर्शन सुधारने हेतु किए गये सरकारी प्रयास:-** -

- 2020 टोक्यो ओलंपिक में 50 पदक जीतने की संभावना खोजने हेतु कार्य बल )Task force) का गठन।
- नीति आयोग ने ओलंपिक प्रदर्शन सुधारने हेतु 20 सूत्री कार्य योजना पेश की ,जिसमें मुख्यतः 10 खेलो पर फोकस करने , राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक को कानूनी रूप देने, अल्पावधि,मध्यावधि,व दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारण करने ,युवा खेल बीमा योजना बनाने ,प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने, तथा नियमित अंतराल पर खिलाडियों,खेल संस्थाओं व प्रशिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा करने की बात कही गई है।

**निष्कर्ष) conclusion):-** रियो-ओलम्पिक में पी.वी.सिंधु व साक्षी मलिक के अतुलनीय प्रदर्शन ने विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश की जन-आकांक्षाओं को जिंदा रखने में अविस्मरणीय योगदान दिया है।

- ओलम्पिक में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन ने सरकारी नीतियों की पंगुता व आमजन तथा कॉरपोरेट जगत की खेलों के प्रति बेरुखी को जाहिर किया है।
- **बाधक तत्व** : विद्यालय ,महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के आयोजनों तथा प्रशिक्षण की कमी, ब्लॉक पंचायत व जिला स्तर पर एकीकृत खेल परिसरों का अभाव, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक खेल उपकरणों,ढांचे व वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित प्रशिक्षण का अभाव , नैसर्गिक क्षमताओं से ओतप्रोत गांव-ढाणी की प्रतिभाओं को आगे बढाने वाली योजनाओं का अभाव , ओलम्पिक ,एशियाई,व राष्ट्रमंडल खेलों में खेलने वाले खिलाडियों व पदक विजेताओं के लिए नाकाफी प्रोत्साहन राशि , भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप खेल चयन का अभाव , खेलों के महत्व को रेखांकित करने वाले पाठ्यक्रम का अभाव, तथा खेलों को केरियर विकल्प व जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्थापित करने वाली जन चेतना की अनुपलब्धता आदि भारत में खेलों के विकास में बाधक तत्व है।

**What to be done:** जरूरत है सरकार खेलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास व खिलाडियों के प्रोत्साहन हेतु अधिक फंड आवंटित करे , पी.वी.सिंधु,सायना

नेहवाल,अभिनव बिंद्रा ,साक्षी मलिक,तथा दीपा कर्माकर जैसे खिलाड़ियों को युवाओं के मध्य रोल मॉडल के रूप प्रचारित करे, तथा नई खेल नीति बनाकर गांव-ढाणी तक के युवाओं की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि टोक्यो ओलम्पिक में भारत का प्रदर्शन बेहतर किया जा सके ।

## 2. पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू

- **केरल और तमिलनाडु** द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लागू किए जाने के साथ अब यह अधिनियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है।
- इसके परिणामस्वरूप 81.34 करोड़ लोगों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रूपये प्रति किलोग्राम के भाव से चावल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सक्रियता के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आग्रह किया था।
- केंद्र अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आगे सुधार करने पर फोकस करेगा। इसमें शुरू से अंत तक प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शामिल है। इसके लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है ताकि अनाजों की चोरी और डायवर्जन रोका जा सके।
- **डिजिटलीकरण** :सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चोरी मुक्त बनाने के लिए केंद्र की ओर से अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थी का डेटा का डिजिटलीकरण किया गया है। इसमें लाभार्थी के स्तर तक सूचना उपलब्ध है और सूचना पब्लिक डोमेन में है। 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में अनाजों का ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है और 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न सप्लाई की पूरी श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राशनकार्डों का आधार से 100 फीसदी जोड़ने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। अभी 71 प्रतिशत राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। एफसीआई का खाद्यान्न नुकसान कम होकर 0.04 प्रतिशत रह गया है और एफसीआई के प्रमुख डीपो ऑनलाइन कर दिये गए हैं।
- **योजना का प्रारूप** : बेहतर लक्ष्य और खाद्यान्नों के चोरी मुक्त वितरण की दिशा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दो अलग-अलग रूप में चलाए जा रही हैं।
    - पहली पद्धति में लाभार्थी के बैंक खाते में **खाद्यान्न सब्सिडी नकद रूप** में अंतरित की जा रही है। लाभार्थी अपनी पंसद के अनुसार बाजार से अनाज खरीद सकते हैं। यह प्रयोग चंडीगढ़, पुड्डुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है।
    - दूसरे तरीके में **उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित** करना है ताकि बिक्री के इलेक्ट्रानिक प्वाइंट (इ-पीओएस) उपकरण के माध्यम से वितरण के समय लाभार्थी के प्रमाणीकरण के साथ अनाजों का वितरण किया जा सके। इस व्यवस्था में परिवार को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा की इलेक्ट्रानिक जानकारी होती है। 31.10.2016 तक 1,61,854 उचित मूल्य की दुकानों में इ-पीओएस उपकरण काम कर रहे हैं।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है ताकि सरकारें राज्य के अंदर परिवहन खर्च और खाद्यान्नों के उतार-चढ़ाव तथा डीलर के मार्जिन का खर्च वहन कर सकें। उचित मूल्य के दुकानों को डीलरों की

मार्जिन के लिए सहायता में उचित मूल्य दुकान पर डीओएस उपकरण लगाने और चलाने के लिए सहायता भाग शामिल है।

- भारत सरकार द्वारा 2016-17 में अब तक राज्य सरकारों को 1874 करोड़ रूपये जारी किए हैं। वर्तमान कवरेज पर अधिनियम के अंतर्गत राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का मासिक आवंटन लगभग 45.5 लाख टन है और इसमें 11,726 करोड़ रुपये प्रति माह की सब्सिडी और लगभग 1,40,700 करोड़ रुपये सालाना की सब्सिडी है।
- गन्ना बकायों के बारे में श्री पासवान ने कहा कि 2014-15 का बकाया 21 हजार करोड़ रुपये था जो घटकर 205 करोड़ रुपये रह गया है। चना को छोड़कर दालों की कीमतों में गिरावट आई है। गेहूं के मूल्यों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने एफसीआई ओएमएस योजना के अतंर्गत घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया है।

### 3. वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग (Value capture financing)

- वर्तमान शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तारीकरण से जुड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संसाधनों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग के अभिनव तरीके के जरिए संसाधन जुटाने के लिए एक नीतिगत (वीसीएफ) रूपरेखा पेश करेगा।
- **What is benefit:** इससे राज्यों एवं स्थानीय सरकारों को अपने प्रभाव वाले चिन्हित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश और नीतिगत पहलों से जमीन एवं अन्य संपत्तियों जैसे कि इमारतों की कीमतों में हुई वृद्धि के एक हिस्से का दोहन करके संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
- **Methods:** वीसीएफ के विभिन्न तरीके ये हैं भूमि मूल्य कर :, भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए शुल्क, समुन्नति शुल्क, विकास शुल्क, विकास अधिकारों का हस्तांतरण, फ्लोर स्पेस इंडेक्स एवं फ्लोर एरिया रेशियो संबंधी छूट पर प्रीमियम, खाली पड़ी भूमि पर कर, टैक्स में वृद्धि का वित्तपोषण, भूमि अधिग्रहण के लिए क्षेत्रीकरण संबंधी छूट और लैंड पूलिंग प्रणाली।

### 4. प्रधानमंत्री युवा योजना

GENERAL STUDIES HINDI

- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर यह योजना घोषित की गई
- पांच साल) 2016-17 से 2020-21 तक (की अवधि में 499.94 करोड़ की परियोजना लागत से यह योजना 3050 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
- यह सूचना और संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट, इनक्यूबेटर और एक्सीलेटर तक आसान पहुँच और युवाओं के लिए एक मार्ग का का सृजन करने में सहायता प्रदान करेगी।
- प्रधानमंत्री युवा योजना के अधीन उच्च शिक्षा के 2200 संस्थान) कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रमुख संस्थान(, 300 स्कूल, 500 आईटीआई और 50 उद्यमिता विकास केंद्र मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज) एमओओसी (के माध्यम से शामिल हैं।

### 5. भारत तपेदिक बीमारी उन्मूलन के लिए अनुसंधान कार्य में अग्रणी

**A look on Data:**

तपेदिक भारत की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। (टीबी)विश्व में भारत पर तपेदिक का बोझ सबसे अधिक है।

- इस बीमार से प्रत्येक तीन मिनट में दो भारतीय और रोजाना 1,000 लोगों की जान चली जाती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट में टीबी बीमारी की घटनाओं का आकलन किया गया यानी 2015 में टीबी के 2.8 मिलियन नए मामले सामने आए और तपेदिक से मरने वाले मरीजों की संख्या एचआईवी पॉजिटिव लोगों की मृत्यु को छोड़कर 2015 में 478,000 तथा 2014 में 483,000 रही।

**अनुसंधान कार्य**

ICMR की अग्रणी पहल भारत टीबी अनुसंधान और विकास निगमका उद्देश्य टीबी के लिए नए (आईटीआरडीसी) साधनऔषधि), निदान और टीके विकसित करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को एक साथ ( औषधि) लाना है। निगम का विजन नए साधनों, निदान और टीके के विकास में निवेश करके भारत से तपेदिक का ( साथ विश्व को समाधान प्रदान करना है।– उन्मूलन करने के साथ

Other Measusres:

माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशन में टीबी उन्मूलन को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है। उद्देश्य टीबी के नए मामलों में 95 प्रतिशत की कमी लाना और टीबी से मृत्यु में 95 प्रतिशत की कमी लाना है। उन्होंने कहा कि उपचार दरों में सुधार और नए मामलों में में तेजी से कमी लाने के लिए अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जाएगी

## GS PAPER III

### 1. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा मैंड्रैक्स गोलियां (मेथाक्वालोन) जब्त :

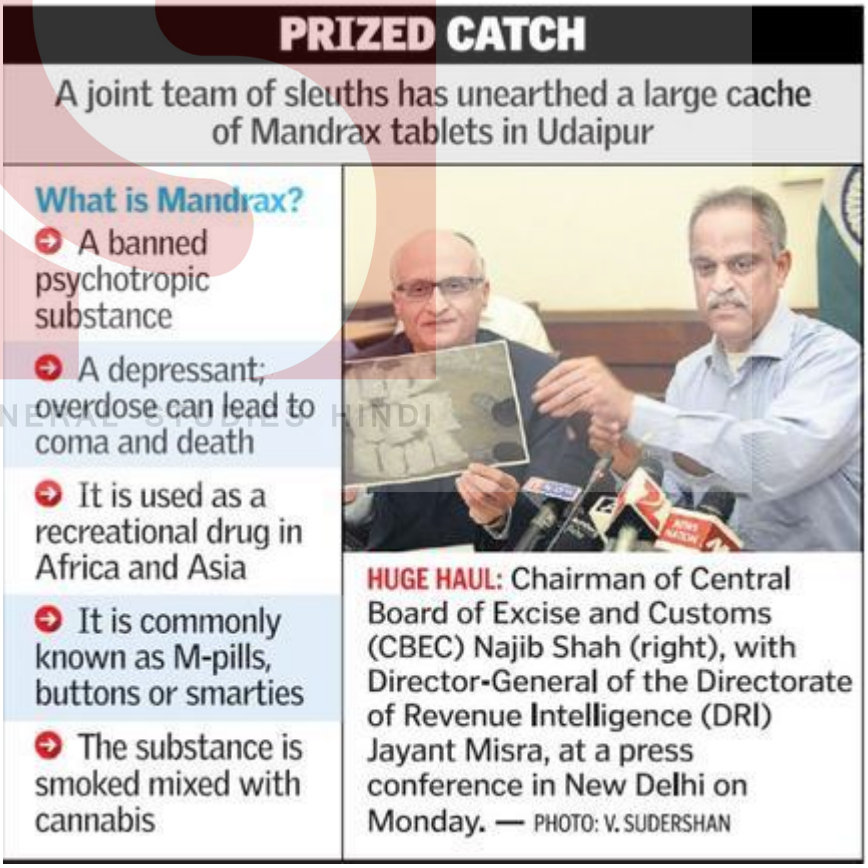


- नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों की एक सबसे बड़ी जब्ती के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की शीर्ष तस्करी रोधी एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने लगभग 23.5 मीट्रिक टन मैंड्रैक्स गोलियां जब्त (मेथाक्वालोन) की हैं, जो एनडीपीएस नियम, 1985 की अनुसूची-1 के तहत एक प्रतिबंधित मादक पदार्थ है।
- यह न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में मेथाक्वालोन की अब तक की एक सबसे बड़ी जब्ती है।
- मैंड्रैक्स का मुख्य कच्चा माल एसिटिक एनहाइड्राइड है

- मेथाक्वालोन एक अवसाद है, जिसकी ज्यादा खुराक लेने पर संबंधित व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसे आम तौर पर मैंड्रैक्स, एमपिल्स-, बटन, या स्मार्टीज के रूप में जाना जाता है।

## 2. प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव-विविधता कांग्रेस

आईएसी 2016 का आयोजन 6-9 नवंबर 2016 तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कांग्रेस में 60 देशों से लगभग 900 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कृषि जैवविविधता प्रबंधन और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के बारे बेहतर समझ विकसित करने से संबंधित चर्चा की जायेगी।।

### ****प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव-विविधता कांग्रेस का आयोजन भारत में क्यों ?

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में ईसा पूर्व 9000 वर्षों से खेती और पशुपालन का कार्य आरंभ हो चुका था। भारत में विशिष्ट पौधों और जीवों की विविधता होने के कारण यह महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। इसके अतिरिक्त 34 वैश्विक जैवविविधता हॉटस्पॉट में से चार भारत में स्थित है -हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा भारत, फसलीय पौधों की उत्तपति का विश्व के आठ केंद्रों में एक प्रमुख केंद्र है और वैश्विक महत्व की कई फसलों की विविधता का द्वितीयक केंद्र है।

### *** कृषि जैव- विविधता का महत्व

- विश्व की बढ़ती आबादी की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में कृषि जैवविविधता के संरक्षण से टिकाऊपन बनाए रखने पर इस अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस में प्रकाश डाला जायेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के साथ ही वर्ष 2050 तक 9.7 अरब वैश्विक आबादी) यून डेसा, 2015) की 70 प्रतिशत अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए टिकाऊ कृषि उत्पादन के विषय में भी चर्चा जायेगी।
- कृषि जैवविविधता ही सतत कृषि विकास का आधार है और वर्तमान तथा भावी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। वैश्विक कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम करना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें इन बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण करना होगा, क्योंकि हमारी कृषि पद्धति में इनसे आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति होती है और लोगों को आजीविका भी मिलता है।
- कृषि जैवविविधता ही सतत कृषि विकास का आधार है और वर्तमान तथा भावी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। वैश्विक कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जोखिम कम

करना और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें इन बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण करना होगा, क्योंकि हमारी कृषि पद्धति में इनसे आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति होती है और लोगों को आजीविका भी मिलता है।

- मानव आहार में जैव विविधता की कमी के कारणवश कुपोषण और भुखमरी की समस्या गहरा गई है। अब यह स्पष्ट है कि अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह विविधता लुप्त होने के गकार पर है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की पहल और राष्ट्रीय योजनाओं के समन्वय एवं सहयोग के कारण आज लगभग 7.4 मिलियन पौध जननद्रव्यों का संग्रह राष्ट्रीय और वैश्विक जीन बैंकों में संरक्षित किया जा सका है। भारत में स्थित विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीनबैंक में 0.4 मिलियन एक्स सीटू 1800 पौधों की किस्मों व उनके वनस्पति संबंधितों के जननद्रव्यों को संरक्षित किया गया है। यह भी चिंता जाहिर की जा रही है कि वर्तमान में संसाधनों या उपयोगिता संबंधित सूचनाओं के अभाव में ज्यादातर उपलब्ध जैवविविधता का उपयोग अत्यंत कम हुआ है। इस कारणवश कृषि जैवविविधता अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिए नीति निर्माताओं को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

कांग्रेस में जीन बैंकों के प्रभावी और कुशल, आनुवंशिक संसाधनों के क्षेत्रों में विज्ञान आधारित नवोन्मेष, आजीविका, फसल विविधता के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा, अल्प ज्ञात फसलों के प्रयोग और फसल सुधार में जंगली फसल संबंधितों की भूमिका को शामिल करना, संगरोध से संबंधित मुद्दें, जैव रक्षा व जैवसुरक्षा और ज्ञान संपदा अधिकारों तथा जननद्रव्य आदान-प्रदान करने के संदर्भ में पहुंच तथा लाभ साझा करने जैसे मुद्दों पर चर्चा ओर ज्ञान साझे किये जाएंगे। इस कांग्रेस के दौरान कृषि जैवविविधता के प्रभावी प्रबंधन एवं उपयोग में समस्त हितधारकों की भूमिका पर चर्चा हेतु जनमंच विकसित करने की भी योजना है।

भावी वैश्विक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा कृषि जैवविविधता का संरक्षण और विविध टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने में कृषि जैवविविधता का उपयोग एवं संरक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

GENERAL STUDIES HINDI

## 3. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंडेक्स पर होगी राज्यों की रैंकिंग

देश में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंडेक्स पेश किया है। अब राज्यों के बीच प्रत्येक वर्ष इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे देश में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय के लिए माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

### किसने तैयार किया है यह index

कृषि क्षेत्र में सुधारों पर इस तरह का पहला इंडेक्स  नीति आयोग ने तैयार किया है।

**Ranking**

- इसमें महाराष्ट्र को किसानों के हितों के लिए सबसे अधिक कार्य करने वाला राज्य चुना गया है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान हैं।
- इंडेक्स में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और छत्तीसगढ़ हैं।

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर सहित 29 राज्यों में से 20 का कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिहाज से प्रदर्शन खराब रहा।

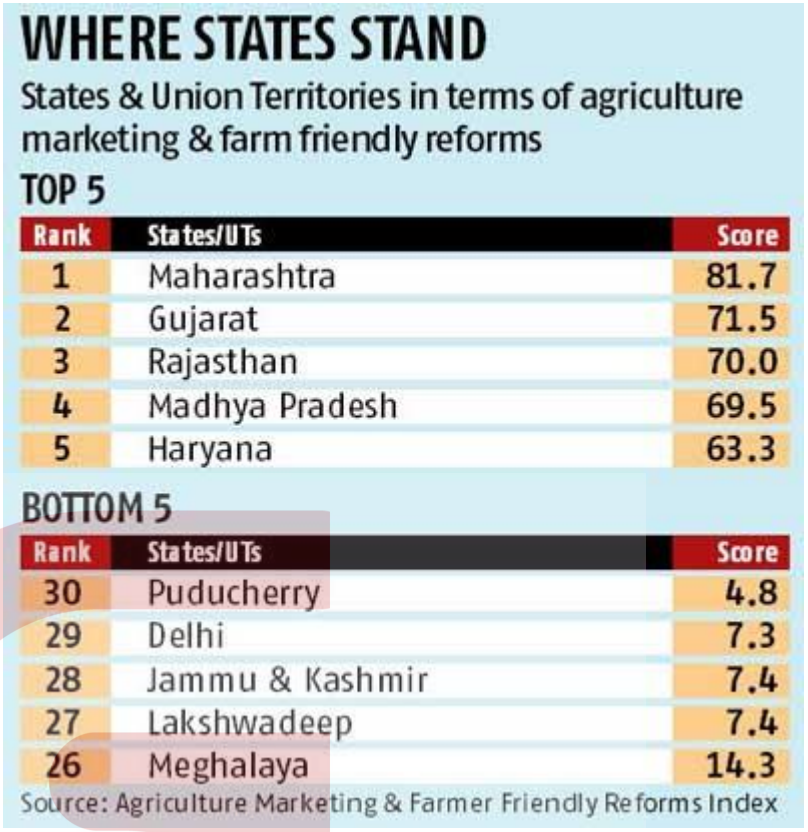

WHERE STATES STAND

States & Union Territories in terms of agriculture marketing & farm friendly reforms

TOP 5

| Rank | States/UTs | Score |
|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | 81.7 |
| 2 | Gujarat | 71.5 |
| 3 | Rajasthan | 70.0 |
| 4 | Madhya Pradesh | 69.5 |
| 5 | Haryana | 63.3 |

BOTTOM 5

| Rank | States/UTs | Score |
|---|---|---|
| 30 | Puducherry | 4.8 |
| 29 | Delhi | 7.3 |
| 28 | Jammu & Kashmir | 7.4 |
| 27 | Lakshwadeep | 7.4 |
| 26 | Meghalaya | 14.3 |

Source: Agriculture Marketing & Farmer Friendly Reforms Index

**Some other points about Index**

- यह इंडेक्स राज्यों की ओर से कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए उठाए गए कदमों पर आधारित है।
- इंडेक्स का उद्देश्य राज्यों को कृषि क्षेत्र में समस्याओं की पहचान और उनका समाधान निकालने में मदद करना है। देश में इस क्षेत्र की वृद्धि दर कम है और किसानों को भी कम आमदनी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
- इंडेक्स में मॉडल एपीएमसी एक्ट के सात प्रावधानों को लागू करने, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में शामिल होने की कोशिश (नाम-ई), मंडियों में टैक्स के लेवल को भी देखा जाएगा।

GENERAL STUDIES HINDI

## 4. जैविक कृषि

जैविक कृषि एक समेकित कृषि है। इसके द्वारा जैव विविधता, जैविक चक्रण और मृदा जैविक कार्यकलाप संवर्धित होते हैं। जैविक कृषि के द्वारा सिंथैटिक उर्वरकों, विकासगत हार्मोनों, वृद्धिकारक एंटीबायोटिक पदार्थों, सिंथैटिक कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना फसschemeलों और पशुओं के लिए पर्यावरण अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है।

### जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाए

जैविक कृषि की संभावना देखते हुए सरकार इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम लागू कर रही है ताकि यहां के गांव के लोग खुशहाल हो सकें। ये योजनाएं हैं -

- मेरा गांव, मेरा गौरव
- राष्ट्रीय फसल बीमा योजना
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय बागवानी मिशन
- कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण और
- कृषि शिक्षा का विस्तार।

**5. वैश्विक राजस्थान कृषि तकनीक सम्मेलन)'Global Rajasthan agri tech. meet 'GRAM' ):**

**Objectives**

- कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास का रास्ता प्रशस्त करना तथा किसान समुदाय के सामने विश्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को सामने लाना।
- किसानों समुदाय को विश्व भर में फैली निवेश प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।

ग्लोबल एग्रीटेक सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बनाई गई योजनाओं का विवरण दिया जो निम्नांकित है-

1. प्रत्येक खेत को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए-**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**
2. जैविक खेती के तहत अधिक से अधिक क्षेत्र को खेती के तहत लाने के लिए **परंपरागत कृषि विकास योजना**
3. किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय कृषि बाजार**, **ईनाम**- की शुरूआत की गई है। ई नाम की शुरूआत-14 अप्रैल, 2016 से की गई है तथा 8 राज्यों के 21 मंडियों को इसमें कवर किया गया है। अभी तक 10 राज्यों में स्थित सभी 250 मंडियों को ई नाम से जोड़ दिया गया-है।
4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरूआत की गई है। मार्च, 2017 तक 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लक्ष्य मुकाबले आज की तारीख तक 3.15 करोड़ कार्डों का वितरण कर दिया गया है। यह योजना किसानों के लिए उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग से संबंधित सटीक निर्णय लेने के लिए सुगम है।।
5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
6. स्वदेशी गोजातीय प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरूआत की गई है जिससे कि वैज्ञानिक पद्धति के साथ स्वदेशी गोजातीय प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके।।
7. सरकार ने मछली पालन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरूआत की है क्योंकि इसका मछुआरों, महिला मल्लाहों एवं जल जीव पालन से जुड़े लोगों की आजीविका को बेहतर बनाने में काफी योगदान है।।
8. मेरा गांव मेरा गौरव के तहत ग्रामीण कृषि व्यवसाय को वैज्ञानिक खेती बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
9. सरकार ने मौसम विज्ञान विभाग से संबंधित एक पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना करने, वैज्ञानिकों एवं किसानों का क्षमता निर्माण करने तथा किसानों को अत्याधुनिक प्रौदयोगिकियों की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है।।

**विशेष तथ्य-:** नीति आयोग ने राजस्थान को वर्ष 2016 के लिए कृषि विपणन एवं किसान केंद्रित बेहतरी सूचकांक से संबंधित श्रेणी में तीसरा स्थान प्रदान किया है। राज्य की कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन नीति 2015 कृषि उत्पादों के मूल्य संवंर्धन को प्रेरित करती है। यह कटाई उपरांत परिदृश्य में होने वाले नुकसानों में कमी लाती है तथा कृषि विपणन के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

**6. अब सूखे से प्रभावित न होने वाली कृषि का समय आ गया है**

सिचाई पर केन्द्रण क्यों :
सिंचाई क्षेत्र में छह दशकों के निवेश के बावजूद सुनिश्चित सिंचाई के तहत 142 मिलियन हेक्टयेर कृषि भूमि में से केवल 45 प्रतिशत ही कवर हो पाई है।

पिछले दो वर्षों में दस राज्यों में गंभीर सूखा पड़ा, जिससे कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा और वस्तुओं की कीमते बढ़ी हैं। वर्षा आधारित कृषि भूमि के अतिरिक्त छह लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने के लिए योजना के कार्यान्वयन के पहले एक वर्ष में पांच हजार तीन सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है

**योजना इस सन्दर्भ में**

- हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 'हर खेत को पानी' देने पर ध्यान केन्द्रित करने की दिशा में एक सही कदम है। इसके अंतर्गत मूल स्थान पर जल संरक्षण के जरिए किफायती लागत और बांध आधारित बड़ी परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- भारत की अगले पांच वर्षों में सिंचाई योजनाओं पर 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इसलिए देश में सूखे के प्रभाव को कम करना कार्यान्वन प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बन गया है। ।।
- वर्तमान में चल रही तीन योजनाओं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन योजनाओं का विलय कर पीएमकेएसवाई बनाई गई है।
- PMKVY का उद्देश्य : इसका उद्देश्य न केवल सिंचाई कवरेज बढ़ाना, बल्कि खेती के स्तर पर जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाना भी है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस योजना से लगभग पांच लाख हेक्टेयर भूमि में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा।
- अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा जल निकायों और पारम्परिक जल स्रोतों की भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। पानी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए निजी एजेंसियों, भूजल और कमान क्षेत्र विकास के अतिरिक्त संसाधनों से पानी लेने का प्रयास भी किया गया। हालांकि यह सुनिश्चित करना गंभीर चुनौती है कि मौजूदा तीस मिलियन कुंओं और टयूबवेल से अतिरिक्त भूजल स्रोत का दोहन न हो। इस संदर्भ में देश के प्रत्येक खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल संरक्षण और जल की बर्बादी कम करना महत्वपूर्ण है। इससे स्थायी जल संरक्षण और जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की आदत बनेगी, जो नई सिंचाई सुविधाओं जितनी ही महत्वपूर्ण है। सिंचाई जल आपूर्ति के लिए कई विधियों से नगर निगम के गंदे पानी का शोधन कर उसे दोबारा उपयोगी बनाने की भी योजना है
- एक ऐसा देश जहां सूखा पड़ने का इतिहास रहा है, वहां केवल ऐसी पहलो से ही सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्ष 1801 से लेकर 2012 तक देश में 45 बार गंभीर सूखा पड़ा है। हाल के कमजोर मानसून का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा है और लगातर दूसरे वर्ष कृषि क्षेत्र का योगदान कम दर्ज किया गया। इसका बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसकी वजह से यह तर्क पुष्ट होता है कि सूखे के असर को कम करने से अर्थव्यवस्था पर कृषि का बुरा प्रभाव कम पड़ेगा।

**Why to minimize use of water in agriculture**

- आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में कृषि में बदलाव की बात करते हुए संकर और उच्च उपज बीज, प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण पर अनुसंधान में अधिक निवेश कर सूक्ष्म सिंचाई के जरिए जल का किफायती उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है।
- जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए उत्पाकदता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलवायु स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान पर निवेश की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।

- पानी की कमी बने रहने से भारतीय कृषि क्षेत्र में काफी समय से 'उच्च निवेश, उच्च जोखिम' की स्थिति है। कृषि क्षेत्र में अधिक पानी की खपत वाली फसलों के कारण जलवायु अनिवार्यता और बढ़ गई है।

- जब तक अनुकूल समर्थन मूल्य के साथ कम पानी की खपत वाली फसलों विशेष रूप से दलहनों और तिहलनों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाता है, तब तक लगभग 98 मिलियन हेक्टेयर वर्षा आधारित खेत कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए योगदान नहीं कर सकते।
- इसलिए पानी की दीर्घावधि आवश्यकता की पूर्ति के लिए समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 'विकेन्द्रिकृत राज्य स्तरीय नियोजन और कार्यान्वयन' को बढ़ाकर व्यापक जिला सिंचाई योजनाओं तक किया जाना चाहिए। यह कार्य केवल स्थानीय जल संसाधनों का संरक्षण और सुरक्षित करना ही नहीं है, बल्कि वितरण नेटवर्क को दक्ष बनाना है, ताकि कठिनाई के समय में भी खेतों में फसल की उत्पादकता को कायम रखा जा सके।

**PMKVY and Carbon credit:**

- 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का 30 से 35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता के कारण भारत को पीएमकेएसवाई के अनुरूप विकेन्द्रिकृत जल प्रबंधन अपनाकर वृहद सिंचाई परियोजनाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हालांकि इन योजनाओं का अधिक लाभ तभी मिल पाएगा, जब यर्थावादी खेती के जरिए जैविक कार्बन मिट्टी को बढ़ाए, कार्बन स्टॉक मिट्टी की नमी बनाए रखे और जलवायु के प्रभाव से फसल की बर्बादी को कम किया जा सके।
- Decentralize irrigation इस संदर्भ में विकेन्द्रिकृत जलागम विकास के माध्यम से सामुदायिक पानी प्रबंधन, पारम्परिक टैंक प्रणाली और 'मिट्टी में नमी बढ़ाने' के लिए सुधार के जरिए 'पानी की उपलब्धता' कायम रखना महत्वपूर्ण है।
- यह प्रयास ग्रामीण इलाकों में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भूजल भंडारण मूल स्थान पर मिट्टी को वास्तविक जलाशयों में परिवर्तित कर देता है, जो जलवायु के खतरों से असाधारण बचाव करता है।
- नीति आयोग के अंतर्गत अंतर मंत्रिमंडलीय राष्ट्रीय स्थायी समिति का गठन किया गया है, हालांकि यह देखना होगा कि राज्य स्तर के विभिन्न विभाग पीएमकेएसवाई के महत्वकांक्षी परिणाम हासिल करने में जमीनी स्तर पर कैसा सहयोग करते हैं।

## Prelims/ Miscellaneous

GENERAL STUDIES HINDI

### 1. केरल को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया :

- स्वच्छ भारत अभियान) एसबीएम) (ग्रामीण (के अंतर्गत केरल को अब तक तीसरा और सबसे बड़ा खुले में शौच से मुक्त) ओडीएफ (राज्य घोषित किया गया है।
- सिक्किम )6 लाख) और हिमाचल प्रदेश (70 लाख के बाद करीब (3.5 करोड़ की ग्रामीण आबादी के साथ खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा प्राप्त करने वाला केरल सबसे बड़ा राज्य है।
- खुले में शौच से मुक्ति विशेष रूप से बच्चों में जल जनित बीमारियों से बचाव से जुड़े स्वास्थ्य लाभ और महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा और सम्मान प्रदान करती है।

### 2. 'फिल्म प्रोत्साहन कोष' : अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए एक 'फिल्म प्रोत्साहन कोष' बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। इस पहल से स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को विश्व भर में अपनी रचना का प्रचार करने में मदद मिलेगी।

**How will it be used**

फिल्म प्रोत्साहन कोष से उन फिल्मों के प्रचार संबंधी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनका चयन किसी जानेमाने अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्स-व के किसी भी प्रतिस्पर्धा खंड के लिए किया जाएगा अथवा जो विदेशी फिल्म श्रेणी के तहत एकेडमी अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक मनोनीत फिल्म होगी। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक पैनल की सिफारिशों पर आधारित इस पहल पर अमल के लिए फिल्म समारोह निदेशालय को प्रमुख एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

### 3. प्रोग्रेस पंचायत

- 9 सितंबर 2016 को हरियाणा के मेवात जिले से शुरू की गई
- इसका मकसद आम लोगों को अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देना और विकास के लिए धन के इस्तेमाल के बारे में उनकी राय लेना है लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास योजनाओं एवं रोजगार के बारे में जानकारी देना है।
- साथ ही समुदाय के बीच गलत धारणा को दूर करना है।

### 4. हर्बल दवाओं के लिए 9वें अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग बैठक

- आयुष मंत्रालय हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की (आईआरसीएच) 9 वीं वार्षिक बैठक का 8 से 10 नवंबर, 2016 तक नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजन कर रहा है।
- **स्थापना :** हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की स्थापना (आईआरसीएच) 2006 में हुई थी जो हर्बल दवाओं के नियमन के लिए जिम्मेदार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सृजित नियामक प्राधिकारियों का एक वैश्विक नेटवर्क है। (डब्ल्यूएचओ)
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य हर्बल दवाइयों के उन्नत विनियम द्वारा जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है।

GENERAL STUDIES HINDI

### 5. स्वच्छ भारत महिला सम्मेलन ने स्वच्छता महिला चैंपियनों को सम्मानित

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने आज स्वच्छ भारत मिशन की महिला चैंपियनों का सम्मेलन आयोजित किया।(ग्रामीण) यह आयोजन ग्रामीण स्वच्छता में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए किया गया था। के सहयोग से आ(यूनीसेफ) सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र बाल कोषयोजित किया गया और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा करना , स्वच्छ भारत मिशन में नेतृत्व की भूमिका निभा रही महिलाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना (ग्रामीण) और सम्मानित करना है।

### 6. पांच राज्यों के आठ शहरों और चंडीगढ़ को जन परिवहन को प्रोत्साहन के सम्बंध में बेहतरीन शहर करार दिया

- पांच राज्यों के आठ शहरों और केंद्र शासित चंडीगढ़ को जन परिवहन, नॉन मोटराइज्ड- शहरों के रूप में चिन्हित 'प्रशंसनीय' और 'उत्कृष्ट' यातायात तथा सड़क सुरक्षा के सम्बंध में किया है।

- इनमें गुजरात के सूरत, गांधीनगर और राजकोट, मध्यप्रदेश के इंदौर और जबलपुर, कर्नाटक का धारवाड़, हरियाणा का करनाल तथा सिक्किम की राजधानी गंगटोक शामिल हैं।
- बेहतरीन जन शहरी यातायात 'उत्कृष्ट' वर्ग में सूरत के एकीकृत जन यातायात प्रणाली को '
- अल्पकालिक जन यातायात के लिये सिंहस्थ को चुना गया है।
- इंदौर को 2016 के लिये करने के लिये चुना गया है। 'प्रशंसनीय पहल'
- गांधीनगर के जी वर्ग के लिये चुना गया 'प्रशंसनीय पहल' बाइक और करनाल के सांझी साइकिल पहलों को- है।
- इसी तरह कर्नाटक की धारवाड़ के लिये बेहतरीन और गुजरात के 'सिटी बस सेवा' हुबली सेवा सम्बंधी- राजकोट को प्रशंसनीय पहल के लिये चुना गया है।
- गंगटोक की एकीकृत डिपो प्रबंधन प्रणाली और जबलपुर के को प्रशंसनीय पहल वर्ग के लिये चुना 'कार्ड-जे' गया है।

GENERAL STUDIES HINDI

GS PAPER III

## 1. खादी इकाईयों का आधुनिकीकरण

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय के माध्यम से (एमएसएमई), खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय (केवीआईसी) योजनाओं को लागू किया जाता है:

1. कमजोर खादी संस्थानों को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए तथा उनको फिर से सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु, केवीआईसी आउटलेट का पुनरूत्थान करने, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को मजबूत करने एवं बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़ाने हेतु सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

2. पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए कोष (स्फूर्ति) की योजना के माध्यम से खादी समूहों को और अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु एवं उनके सतत विकास के लिए सहयोग दिया गया है।

3. केवीआईसी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत शोध कार्य का संचालन करने के लिए अग्रणी तकनीकी संस्थानों के साथ इंटरफेस के गठन का फैसला किया है

## 2. ईपर्यटक वीजा से पर्यटकों की संख्या में व्यापक सुधार-

- अक्टूबर, 2016 में ई पर्यटक वीजा पर कुल मिलाकर देश में-1,05,268 पर्यटकों का आगमन हुआ, जबकि अक्टूबर,2015 में 56,477 पर्यटक आए थे। इस तरह अक्टूबर, 2016 में ईपर्यटक वीजा पर आए पर्यटकों की संख्या में अक्टूबर-, 2015 की तुलना में 86.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
- पर्यटक वीजा सुविधा का लाभ उठाने में ब्रिटेन )22.9 प्रतिशत लगातार शीर्ष ( स्थान पर रहा।
- उसके बाद अमेरिका )12.1 प्रतिशत) और फ्रांस (6.6 प्रतिशतरहे। (
- ई पर्यटक वीजा सुविधा भारत में-16 हवाई अड्डों पर 150 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
- अक्टूबर, 2016 के दौरान ईपर्यटक वीजा सुविधा का लाभ उठाने वाल-े विदेशी पर्यटकों की संख्या में
- अक्टूबर, 2015 की अवधि की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

GENERAL STUDIES HINDI

### अक्टूबर,2016 के दौरान ई-:पर्यटक वीजा की मुख्य बातें निम्नलिखित रहीं-

(i) अक्टूबर, 2016 के दौरान 86.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी के साथ ई पर्यटक- वीजा पर कुल मिलाकर1,05,268 पर्यटक आए, जबकि अक्टूबर,2015 में महज 56,477 पर्यटक ही आए थे।

(ii) जनवरीअक्टूबर-,2016 के दौरान ई पर्यटक वीजा पर कुल मिलाकर-7,80,570 पर्यटक आये, जबकि जनवरीअक्टूबर-, 2015 में यह संख्या 2,58,182 थी। अत इस : तरह पर्यटकों की संख्या में202.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

(iii) यह बढ़ोतरी 150 देशों के लिए ई पर्यटक वीजा की पेशकश करने से ही संभव- हुई है, जबकि पहले यह संख्या केवल 113 ही थी।

(iv) अक्टूबर, 2016 के दौरान ई पर्यटक वीजा सुविधाओं का लाभ उठाने वाले शीर्ष-10 **स्रोत देशों की हिस्सेदारी प्रतिशत में निम्नलिखित रही:**

ब्रिटेन )22.9 प्रतिशत(, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका )12.1 प्रतिशत(, फ्रांस )6.6 प्रतिशत ( ) चीन5.8 प्रतिशत(,

रूस संघ)5.6 प्रतिशत(, जर्मनी )5.5 प्रतिशत(, ऑस्ट्रेलिया )4.5 प्रतिशत(,कनाडा )3.6 प्रतिशत(, स्पेन )2.3 प्रतिशत) और नीदरलैंड (2.1 प्रतिशत।( (v) अक्टूबर, 2016 के दौरान ईपर्यटक- वीजा पर आए पर्यटकों के मामले में **शीर्ष 10 हवाई अड्डों की हिस्सेदारी प्रतिशत में निम्नलिखित रही:**

नई दिल्ली हवाई अड्डा )51.67 प्रतिशत(, मुंबई हवाई अड्डा )18.65 प्रतिशत(, डाबोलीन ) हवाई अड़डा (गोवा)6.20 प्रतिशत) बेंगलुरू हवाई अड्डा (5.18 प्रतिशत(, चेन्नई हवाई अड्डा )4.97 प्रतिशत(, कोच्चि हवाई अड्डा )3.15 प्रतिशत(, अमृतसर हवाई अड्डा )2.42 प्रतिशत) हैदराबाद हवाई अड्डा (2.18 प्रतिशत(,कोलकाता हवाई अड्डा )2.08 प्रतिशत ( ) और तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा1.28प्रतिशत।।(

### 3. वर्ष 2015-16 के अनुमान के अनुसार लगभग रु°1 लाख करोड़ का मत्स्य उत्पादन देश मे

- भारत मत्स्य-उत्पादो के निर्यात मे 14.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक विकास दर के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर रहा
- **नीली क्रांति" का मकसद मछली उत्पादन बढ़ाना और 8 प्रतिशत की दर से सालाना उत्पादन हासिल कर 2020 तक 15 मिलियन टन का आंकड़ा छूना**
- देश में मात्स्यिकी और जल कृषि में हुई तेज प्रगति से मछली पालकों और किसानों की आमदनी लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में यह बड़े पैमाने पर मछली पालकों और किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाएगा।
- **मछली पालन से फ़ायदे**
  - मत्स्य किसानों की आय मे बढ़ोत्तरी
  - देश के निर्यात तथा GDP मे अधिक प्रगति
  - देश मे पोषण तथा खाद्य-सुरक्षा की सुनिश्चितता।

GENERAL STUDIES HINDI

### मछली उत्पादन में भारत:

- विश्व में चीन के बाद लगातार दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में मात्स्यिकी एक बड़ा सेक्टर है और लगभग 150 लाख लोग मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुये हैं। श्रीम्प )झींगा (मछली मे भारत विश्व मे प्रथम स्थान रखता है और यह झींगा का सबसे बड़ा निर्यातक) exporter) है
- सभी मत्स्य उत्पादन मिलाकर, वर्ष 16-2015 में देश मे अनुमानित 10.8 मिलियन टन मछली उत्पादन हुआ, जो कि विश्व के कुल मछली उत्पादन का लगभग 6.4 प्रतिशत है।
- भारत जल कृषि से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक 42.10)लाख टन (देश है।
- वैश्विक जलकृषि उत्पादन में यह लगभग 6.3 प्रतिशत का योगदान करता है।
- पिछले एक दशक मे जहाँ विश्व में मछली एवं मत्स्य-उत्पादो के निर्यात की औसत वार्षिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रही, वही भारत मत्स्य-उत्पादो के निर्यात

मे 14.8 प्रतिशत की औसत वार्षिक विकास दर के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर रहा।

- अंतर्देशीय या inland फिशरीज़ से 72.1 लाख टन मछली उत्पादन कर भारत विश्व मे दूसरा स्थान रखता है और भारत अंतर्देशीय मत्स्य पालन में लगभग 8.0 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकता है।
- नीली-क्रांति योजना द्वारा मछली की उत्पादकता और उत्पादन लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि-दर के साथ सन 2020 तक मत्स्य-उत्पादन 15 मिलियन टन पहुंचाने का लक्ष्य है।
- नई 'राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति' के साथ एक 'राष्ट्रीय अंतःस्थलीय मात्स्यिकी नीति' (National Inland Fisheries Policy) लाने का प्रयास किया जा रहा है जो Inland Fisheries के क्षेत्र मे पूरे देश मे एक समग्र एवं समेकित विकास की रूप-रेखा तय करेगी।

**Scheme for fishing**

राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्य योजना : पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और नीली-क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 5वर्षों के लिए एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी कार्य योजना) 2020 NFAP (बनायी है। इस कार्य योजना को देश में मौजूद विभिन्न मात्स्यिकी संसाधनो जैसे तालाबों तथा टैंको, आर्द्रभूमियों, खाराजल, शीतजल, झीलें और जलाशय, नदियां तथा नहरें और समुद्री सेक्टर को शामिल किया गया है। सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में नीलीक्रांति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिये NFAP-2020 के अनुसार 'राज्य कार्य योजना' तैयार करने के लिए कहा गया है

## 4. किसानों के हितों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने-के लिए विभिन्न निर्णय

सरकार ने चालू रबी सीजन में किसानों के हितों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष निर्णय लिये हैं। ये निर्णय परिचालनगत उपायों के रूप में हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

1. नाबार्ड ने रबी सीजन में कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए राज्य सहकारी बैंकों के जरिये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को 21,000 करोड़ रुपये की सीमा उपलब्ध कराई है। इससे डीसीसीबी को प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी (पीएसीएस) के नेटवर्क के जरिये किसानों के लिए फसल ऋणों को मंजूरी देने एवं इनका वितरण करने में सहूलियत होगी। इससे 40 फीसदी से भी ज्यादा ऐसे छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे, जो संस्थागत कर्ज/फसल ऋण लेते रहे हैं। यही नहीं, आवश्यकता के मुताबिक नाबार्ड द्वारा अतिरिक्त सीमाएं सुलभ कराई जाएंगी।
2. आरबीआई और बैंकों को डीसीसीबी में आवश्यक नकदी उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। इससे चालू रबी सीजन के दौरान विशेषकर बुवाई एवं अन्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को ऋणों का त्वरित एवं निर्बाध प्रवाह के साथ-साथ आवश्यक नकदी भी सुनिश्चित होगी।
3. छोटे कर्जदारों (अर्थात् एक करोड़ रुपये तक के कर्ज लेने वाले लोग) को राहत देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक बकाया रकम के पुनर्भुगतान के लिए 60 दिनों का अतिरिक्त समय देने का निर्णय पहले ही ले चुका है। यह फैसला आवास एवं

कृषि ऋणों सहित उन सभी पर्सनल एवं फसल ऋणों पर लागू होगा, जो बैंकों, एनबीएफसी, डीसीसीबी, पीएसी अथवा एनबीएफसी-एमएफआई से लिये गये हैं।

4. कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिनमें जन धन खाता धारकों को जारी किये गये रुपे डेबिट कार्ड भी शामिल हैं। पिछले 12 दिनों में रुपे डेबिट कार्डों के इस्तेमाल में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस डेबिट कार्ड के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों ने 31 दिसम्बर, 2016 तक ट्रांजैक्शन शुल्क (एमडीआर) न लेने का निर्णय लिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद (एनपीसीआई) ने रुपे कार्डों के लिए स्विचिंग चार्ज को पहले ही माफ कर दिया है। इन सभी कदमों से विभिन्न प्रतिष्ठानों ने डेबिट कार्डों की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
5. डेबिट कार्डों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ कुछ निजी बैंकों ने भी 31 दिसम्बर, 2016 तक एमडीआर शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा भी इस आशय का निर्णय लिये जाने की आशा है। इस तरह स्विचिंग सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों सहित ट्रांजैक्शन शुल्क को 31 दिसम्बर, 2016 तक माफ कर दिया गया है।
6. ई-वॉलेट के जरिये भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई ने आम लोगों के लिए मासिक ट्रांजैक्शन सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने कारोबारियों के लिए भी इस सीमा में इतनी ही बढ़ोतरी की है।
7. यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने आरक्षित ई-टिकट लेते समय द्वितीय श्रेणी पर 20 रुपये का सर्विस चार्ज और इससे ऊपर की श्रेणी के टिकटों पर 40 रुपये का सर्विस चार्ज 31 दिसम्बर, 2016 तक न लेने का निर्णय लिया है। इससे नकदी के जरिये रेलवे के काउंटरों पर टिकट खरीदने के बजाय ई-टिकटों को खरीदने के लिए यात्रीगण प्रोत्साहित होंगे।
टिकटों की कुल खरीद में ऑनलाइन ई-टिकट खरीदने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 58 प्रतिशत और नकदी के जरिये काउंटरों पर टिकट खरीदने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या 42 प्रतिशत है। अब ई-टिकट की खरीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से लोग नकदी रहित लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
8. टीआरएआई ने बैंकिंग से संबंधित लेन-देन और भुगतान के लिए यूएसएसडी चार्ज को मौजूदा 1.50 रुपये प्रति सत्र से घटाकर 0.50 रुपये प्रति सत्र करने का निर्णय लिया है। इसने संबंधित चरणों की संख्या को भी मौजूदा पांच से बढ़ाकर आठ चरण कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियां भी प्रति सत्र 50 पैसे के उपर्युक्त यूएसएसडी चार्ज को 31 दिसम्बर, 2016 तक माफ करने पर सहमत हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप यूएसएसडी चार्ज 31 दिसम्बर, 2016 तक शून्य रहेगा। इससे विशेषकर फीचर फोन वाले गरीब लोगों (इनकी संख्या फिलहाल देश में कुल फोनों का 65 फीसदी है) को डिजिटल वित्तीय लेन-देन की अत्यंत किफायती सुविधा सुलभ हो जाएगी।
9. वाहन चालकों को अपना काफी समय चेक पोस्ट और टोल प्लाजा पर गुजारना पड़ता है। जहां एक ओर जीएसटी की बदौलत चेक पोस्ट पर यह समस्या दूर हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवस्थित टोल प्लाजा पर भुगतान में सहूलियत के लिए कुछ विशेष उपाय अत्यंत आवश्यक हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वाहन निर्माताओं को अपने सभी नये वाहनों में ईटीसी के अनुरूप 'आरएफआईडी' सुलभ कराने की सलाह दे रहा है।

10. सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य सरकारी प्राधिकरणों को सलाह दी गई है कि वे सभी हितधारकों और कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल भुगतान वाली प्रणालियों जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, कार्डों, 'आधार' के अनुरूप भुगतान प्रणाली इत्यादि का ही उपयोग करें। भुगतान करने के समय प्राधिकरणों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कार्डों, इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, 'आधार' के अनुरूप भुगतान प्रणाली इत्यादि के जरिये भुगतान का विकल्प मुहैया करायें।

## 5. कृषि उत्पादों की उचित मार्केटिंग के लिए सरकार के उपाय

अब यह जरूरी हो गया है कि बाजार, किसान की पहुच के अन्दर हो और उनके और उपभोक्ताओं के बीच कोई बिचौलिया नहीं हो, उपज का मूल्य पारदर्शी तरीके से तय हो और किसान को उनकी उपज का अविलंब भुगतान हो। केन्द्र सरकार इसके लिए देश भर में एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रही है जिसमें बाजार सीधे खेत से जुड़ जाएंगे और उपभोक्ता सीधे किसान के खेत से उपज खरीद सकेंगे।

- केन्द्र सरकार किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत दिलाने के लिए पहले ही राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम अप्रैल-2016 में लांच कर चुकी है।
  - ईनाम पोर्टल से मार्च-, 2018 तक कुल 585 मंडियों को जोड़े जाने की योजना है।
  - सितम्बर-2016 तक 200 मंडियों के लक्ष्य के सापेक्ष 10 राज्यों की 250 मंडियों को ई-नाम से जोड़ दिया गया है।
  - ई नाम की इस नयी व्यवस्था में अब किसान कहीं भी बैठकर ऑनलाइन ट्रेडिंग के-जरिए अपनी फसल बेच सकता है तथा इसके जरिए वह उपज की गुणवत्ता के अनुसार उत्तम मूल्य प्राप्त कर सकताहै।
  - यदि उसे मूल्य पसंद ना हो तो वह ऑनलाइन की गयी सर्वोच्च बोली खारिज भी कर सकता है।
  - किसान को ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था भी है।
  - उन प्रदेशों की मंडिया ई नाम से जुड़ सकती हैं जिन्होंने अपने विपणन कानूनों में तीन-**ई ट्रेडिंग की व्यवस्था -** सुधार कर लिये हैं**, एकल बिंदु पर मंडी शुल्क की उगाही और सिंगल लाइसेंस से पूरे प्रदेश में व्यापार।**
  - दो प्रमुख राज्य बिहार और केरल कोई मंडी कानून न होने से अभी ई नाम परियोजना-से नहीं जुड़ पा रहे हैं।
- किसानों को उपभोक्ताओं से सीधे जोड़ने के लिए वर्तमान सरकार किसानों के खेत से उत्पाद की सीधा खरीद को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए 22 राज्यों ने अपने विपणन कानूनों में बदलाव भी कर लिया है।
- देश में कृषि उपज का विपणन, राज्य सरकारों की विनियमित मंडियों के माध्यम से किया जाता है, जिनकी कुल संख्या 6746 है। उन्होंने कहा कि वैसे तो किसानों पर गठित राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के अनुसार 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मंडी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में लगभग 580 वर्ग किलोमीटर में एक मंडी है। मंडियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार मंडी कानून में सुधार करवाकर निजी क्षेत्र की मंडियां स्थापित करवाने का प्रयास कर रही है। अब तक 21 राज्यों ने इस संबंध में अपने विपणन कानूनों में सुधार कर लिया है।

## 6. राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन

GENERAL STUDIES HINDI

- देश मे पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन के अंतर्गत **ई पशुधन हाट पोर्टल** स्थापित किया गया है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने मे एक महतवापूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इस पोर्टल के द्वारा किसानो को देशी नस्लों की नस्ल वार सूचना प्राप्त होगी।
- इससे किसान एवं प्रजनक देशी नस्ल की गाय एवं भैंसो को खरीद एवं बेच सकेंगे।
- देश मे उपलब्ध जर्मप्लाज्म की सारी सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। जिससे किसान इसका तुरंत लाभ उठा सके।
- इस तरह का पोर्टल विकसित डेयरी देशों मे भी उपलब्ध नहीं है। इस पोर्टल के द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को एक नई दिशा मिलेगी।

## बोवाईन आबादी

- भारत में विश्व की सबसे बड़ी बोवाईन आबादी है। यहां 199 मिलियन गोपशु हैं जो विश्व की गोपशु आबादी का 14% है।
- यहां 105 मिलियन भैंसे हैं जो विश्व की भैंस आबादी का 53% है। 79% गोपशु देशी है और 21% विदेशी तथा वर्णसंकरित नस्लों के हैं।
- गोपशु की 37 नस्लें तथा भैंसों की 13 नस्लें राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक स्रोत ब्यूरो (एनबीएजीआर) से मान्यता प्राप्त है।
- देशी बोवाईन नस्लें उष्मा साध्य हैं तथा रोग और चिचड़ा प्रतिरोधी है। यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अच्छी तरह से रह लेती है। कुछ नस्लों में ईष्टतम पोषण तथा फार्म प्रबंधन परिस्थितियों में अत्यंत उत्पादक होने की क्षमता है।

### समावेशी विकास में योगदान :

- भारत की बोवाईन आबादी 60 मिलियन सीमांत, छोटे और मध्यम किसान परिवारों के पास है। इनके पास औसतन दो से तीन दुधारू पशुओं का झुंड है।
- डेयरी व्यवसाय किसानों के लिए अनुपूरक आय का एक प्रमुख स्रोत है। तथापि, भारतीय फार्म प्रबंधन प्रणाली विशिष्ट रूप से कम उत्पादकता के साथ कम आदान, कम उत्पादन प्रणाली है।
- किसानों की आय को 2020 तक दोगुना करने की माननीय प्रधान मंत्री की परिकल्पना को पूरा करने के लिए पशुपालन से होने वाली आय के हिस्से को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति को अपनाने की आवश्यकता है।

GENERAL STUDIES HINDI

### **** पशु व्यापार बाजार से संबंधित कमियां---:

- कोई प्रमाणिक संगठित बाजार नहीं।
- उच्च आनुवांशिक गुणता वाले रोगमुक्त जर्मप्लाज्म को प्राप्त करना मुशिकल।
- अन्य कुप्रथाओं में पशुओं को दुध का उत्पादन बढाने के लिए विशेष आहार देना, उनके सींग हटाना तथा आयु के बारे में गलत जानकारी देने के लिए दांतों को भरना शामिल है।

****ई--:पशु हाट का उद्देश्य और लक्ष्य-

- पशुधन जर्मप्लाजम के लिए ईव्यापार बाजार पोर्टल-
- किसानों को प्रजनकों के साथ जोड़ेगा।
- - जर्मप्लाज्म की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय में प्रमाणिक सूचना।

## 7. पारादीप बंदरगाह पर आधुनिक आरएफआईडी अभिगमन नियंत्रण प्रणाली शुरू

- पारादीप बंदरगाह ने अपने प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहनों और लोगों के प्रवेश और निकासी पर नियंत्रण के लिए आधुनिक आरएफआईडी अभिगमन नियंत्रण प्रणाली शुरू कर सुरक्षा की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है।
- RFID प्रणाली के कार्यान्वयन से बंदरगाह के द्वार पर आसानी से आवाजाही के कारण पारादीप बंदरगाह की उत्पादकता में काफी सुधार हुआ है। सभी प्रमुख बंदरगाहों में से एक पारादीप पहला बंदरगाह है, जिसने सफलतापूर्वक आरएफआईडी अभिगमन नियंत्रण प्रणाली शुरू की है। यह इस बंदरगाह की एक और उपलब्धि है।
- आरएफआईडी प्रणाली बंदरगाह का उपयोग करने वालों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वे निश्चित अवधि में अपने कारगो की आवाजाही से संबंधित आंकड़े पा सकते हैं। इसके अलावा इस प्रणाली में वाहनों के चालकों और हैल्परों के विवरण भी उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर जांच पड़ताल के लिए यहां से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**What is RFID (Radio frequency identification tag)**

रेडियोआवृत्ति पहचान- एक वस्तु का उपयोग है , जिसे एक उत्पाद, पशु, या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग के उद्देश्य से लगाया या डाला जाता है। कुछ टैग को कई मीटर दूर से और पाठक की दृष्टि रेखा के पार से पढ़ा जा सकता है।

आम तौर पर तीन प्रकार के RFID टैग होते हैं:

- सक्रिय RFID टैग, जिसमें एक बैटरी होती है और ये संकेतों को स्वतंत्र रूप से संचारित कर सकते हैं,
- निष्क्रिय RFID टैग, जिसमें बैटरी नहीं होती और संकेत संचरण प्रेरित करने के लिए एक बाहरी स्रोत की जरूरत होती है और
- बैटरी समर्थित निष्क्रिय )BAP) जिसे जागने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण उच्च फ़ॉरवर्ड लिंक क्षमता है जो अत्यधिक पठन सीमा प्रदान करता है।

**Prelims:**

GENERAL STUDIES HINDI

## 1. राष्ट्रीय छात्र स्टार्टअप नीति

- राष्ट्रीय छात्र स्टार्टअप नीति का लक्ष्य 100,000 तकनीकी आधारित छात्र स्टार्टअप की शुरुआत करना तथा उसके जरिए अगले 10 साल में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- इस नीति के तहत तकनीकी संस्थाओं के बीच मजबूत आपसी सहयोग के जरिए लक्ष्य को हासिल करने की योजना है।
- इसका पूरा ध्यान भारतीय युवा को 21वीं सदी और उसके बाद स्टार्टअप नीति के लिए बेहतर तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।
- इस नीति में उच्च शिक्षण संस्थान के छात्रों की उद्यमशीलता को उभारने की काफी क्षमता है

Other fact: 2015 के आंकड़ों के मुताबिक 1.35 लाख नौकरियां मिली जो कि पिछले 7 साल में सबसे कम है

## 2. उद्यमिता सहायता और विकास योजना

- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को व्यापार, उत्पाद, सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण, सूचना और परामर्श देकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है।
- इस योजना के तहत, भारत सरकार ने लाख 30 फिर/प्रतिशत तक ऋण 30 रूपये तक की सहायता देने का प्रावधान किया है।

**3. प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण –**

- प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ आगरा से किया गया। –
- इसके अन्तर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित व पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- नवीन योजना में तालमेल के माध्यम से लाभार्थी को प्रति इकाई लगभग 1.50-1.60 लाख रु .उपलब्ध होंगे। लाभार्थी की इच्छा पर रु .70,000 की राशि के ऋण का भी प्रावधान है।
- मार्च, 2019 तक एक करोड़ घर निर्मित किए जाएंगे।
- लाभान्वितों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया गया है।
- भवनहीन तथा एक या दो कमरे के कच्ची छत कच्ची दीवार के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
- स्थानीय निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग के साथ रसोई, बिजली कनेक्शन, एलपीजी, स्नानघर व शौचालय के प्रावधानों से युक्त कर आवास को एक पूर्ण रूप दिया गया है।
- लाभान्वितों को भुगतान पूरी तरह आईटी/डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा तथा आईसीटी व स्पेस टेक्नॉलोजी) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (के उपयोग से कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आवाससॉफ्ट एमआईएस पर किया जाएगा।

**4. आईएफएफआई 2016 में इम नोन ताइक लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित**

- अंतरराष्ट्रीय रूप से विख्यात कोरियाई फिल्म निर्देशक और लेखक, इम नोन ताइक को आईएफएफआई 2016 में प्रतिष्ठित लाइफटाईम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- अपने लंबे और शानदार कैरियर और कोरियाई विषयों पर अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कोरियाई सिनेमा का जनक माना जाता है। इम नोन ताइक को कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।

**5. आईसीसीआर विश्व संस्कृत पुरस्कार 2015-16**

- थाईलैंड की राजकुमारी महा चक्री सीरिन धोर्न और एक अमेरिकी भाषाविद् तथा इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉर्ज कॉरडोना आईसीसीआर के विश्व संस्कृत पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता

**6. प्रोफेसर एमके.जी. मेनन:**

- जानेमाने भौतिकी विज्ञानी और प्रशासक-

- उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा राज्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अध्यक्ष और टीआईएफआर के निदेशक सहित कई पदों पर रहकर देश की सेवा की।
- प्रोफेसर मेनन को कॉस्मिक किरणों के क्षेत्र में और विशेष रूप से प्राथमिक कणों के उच्च ऊर्जा संपर्कों की खोज से प्रसिद्धी मिली।
- वे देश की सभी तीनों विज्ञान अकादमियों के अध्यक्ष रहे।
- 2008 में एक छोटे तारे 7564 गोकुमेनन का नाम उनके सम्मान में रखा गया।

## 7. डॉएम . बालमुरलीकृष्ण

- कर्नाटक संगीतज्ञ
- डॉबालमुरलीकृष्ण ने तेलुगु ., संस्कृत, कन्नड और तमिल जैसी विभिन्न भाषाओं में खूबसूरत रचनाओं के जरिए लगभग सात दशकों तक देश और विदेश के संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया।
- वे अपनी प्रयोग करने की आदत और रचनात्मकता के लिए जाने जाते थे।
- उन्होंने कर्नाटक संगीत की समृद्ध पारम्परिकता से छेड़छाड़ किए बिना ताल प्रणाली और कर्नाटक संगीत प्रणाली में परिवर्तन किया।
- वे संगीत चिकित्सा के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान करने में भी शामिल थे

## 8. दूसरा गणमान्य भारतविद् पुरस्कार

**Who gives this award**

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) 'गणमान्य भारतविद' पुरस्कार प्रदान करती है।

**To Whom**

विदेशों में कार्य कर रहे जाने माने भारतविद को प्रति वर्ष सम्मानित करने के लिये

**When it started**

GENERAL STUDIES HINDI

**In which field**

प्रख्यात विद्वानों को भारत दर्शन का अध्ययन/शिक्षण/अनुसंधान, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, सभ्यता, समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।इसकी पुरस्कार राशि 20000 अमरीकी डॉलर है।

Awarded to

- पहला 'गणमान्य भारतविद' पुरस्कार जर्मनी के प्रोफेसर हेनरिक फ्रीहेर वॉन स्टीटेनक्रोन को दिया गया था।
- दूसरा 'गणमान्य भारतविद' पुरस्कार चीन के प्रोफेसर यू लांग यू को 1 दिसम्बर 2016 ,राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जायेगा।

साभार : विशनाराम माली